शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 54/2017/1541/33-3-2017-114/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ, दिनांक- **21** जुलाई, **2017**

विषय: डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1069/पांच-5-2017, दिनांक-07.07.2017 से प्रत्येक वर्ष, माह जुलाई को एन्टी डेंगू माह के रूप में मनाये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए माह, जुलाई से दिसम्बर तक की अवधि में डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण हेतु विशेष सक्रियता से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के भी दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

1- ग्राम पंचायतों में जल भराव स्थलों को समाप्त कराया जाए तथा नालियों एवं नालों में जल बहाव को रोका न जाए।

2- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को सक्रिय करते हुए स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा समिति के माध्यम से फागिंग एवं लार्वीसाईडल का छिड़काव कराया जाए।

3- हैण्डपम्प एवं कुंओं के पास अनावश्यक जल एकत्रित न होने दिया जाए तथा नियमित सफाई कराई जाए।

4- समिति के माध्यम से डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए जनमानस को जागरूक किया जाए।

उक्त रूप से डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा आदेश संख्या-41/2017/810/33-3-2017-227/2016 दिनांक 11 मई, 2017 से ग्राम पंचायतों में ''स्वच्छ ग्राम

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ प्रदेश अभियान'' के माध्यम से तीन चरणों में विशेष सफाई अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न विभागों की ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को निर्गत किये जा चुके हैं। सफाई अभियान के प्रमुख बिन्दुओं में गांव के अन्दर की सफाई, गांव के नालियों की सफाई एवं तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने की अपेक्षा करते हुए जनपद के जिलाधिकारी को अभियान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

अत: उक्त के क्रम में प्रदेश में ''स्वच्छ ग्राम स्वच्छ प्रदेश अभियान'' के क्रियान्वयन के माध्यम से डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण को संज्ञान में लेते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1- वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व, वर्षा ऋतु के समय एवं वर्षा ऋतु के पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाया जाय, जिसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय एवं सभी सफाईकर्मियों का ग्राम पंचायतवार 2 से 5 दिन का रोस्टर बनाकर बन्द नालियों, गन्दी गलियों, हैण्डपम्पों के चारो ओर, अन्य पेयजल स्रोतों के आस-पास एवं तालाब के इन्लेट की सफाई हेतु विशेष दायित्व निर्धारण किया जाय। यदि किसी ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान सफाईकर्मियों के संख्या में कमी पायी जाती है तो ग्राम पंचायत अन्य श्रमिकों की सहायता लेकर योजनानुसार निर्धारित समय में अभियान पूर्ण करा सकती है।

2- अभियान अवधि में नालियों की मरम्मत एवं नई नालियों का निर्माण कराया जाए, जिससे नालियों में जल प्रवाह निर्बाधरूप से चलता रहे।

3- स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाए :-

(क) समस्त ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान ग्राम्य स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की विशेष बैठक का आयोजन कराकर विभिन्न मजरों में स्वच्छता की स्थिति की चर्चा की जायेगी। इसमें कूड़े का निस्तारण, जल भराव वाले गड्ढ़े एवं नालियों की सफाई, शौचालयों की सफाई एवं प्रयोग तथा सामुदायिक सम्पर्क कर जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(ख) बरसात के मौसम के दौरान स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिये योजना बनाते हुए पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का डाला जाना, हैण्डपम्पों के चारों ओर सफाई की व्यवस्था कराना, मच्छरों के बढ़ने व पैदा न होने देने हेतु रूके हुए पानी में लार्वा को नष्ट करने वाली दवा का छिड़काव कराना सुनिश्चित किया जाये।

http://shasnadeshup.nic.in

(ग) ग्राम सभा में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, मच्छरदानी का उपयोग आदि के सम्बन्ध में लोगों का जागरूक करने के उद्देश्य से दीवाल लेखन, समूह बैठक, स्कूली बच्चों की रैली आदि का आयोजन किया जायेगा।

4- ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा अपशिष्ट पदार्थो के सुरक्षित निपटारे, कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण घरेलू कूड़े का एकत्रण व सुरक्षित निपटान एवं सोख्ता चैनलों/ गड्ढों के निर्माण का कार्य कराते हुए आबादी की नालियों का पानी तालाब तक या नाले तक पहुँचाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित् की जाए, अगर नालियों पर आबादी के अतिक्रमण की वजह से जल भराव की समस्या है तो पुलिस प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। तालाब को जीर्णोद्धार भी कराकर आदर्श तालाब के रूप में विकसित किया जाने की कार्यवाही की जाए। यह अवश्य सुनिश्चित् किया जाए कि अभियान वर्षा ऋतु के आरम्भ, वर्षा ऋतु के समय एवं समाप्ति तीनों समय में समान रूप से समस्त विभागों द्वारा चलाया जाए ताकि डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार से अभियान अन्तर्गत चरणवार प्रगति को विभागीय ई-मेल panchraj@nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा सम्बन्धित फोटोस् को विभागीय फेसबुक पेज पर जनपदवार फोल्डर को बनाते हुए जनपदो द्वारा अपलोड किया जाएगा

अत: उपरोक्त रूप से **डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम**, **बचाव एवं नियंत्रण** प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी**)**
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**:-**

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग /वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

http://shasnadeshup.nic.in

4- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

7- निजि सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद**)**
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in